विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष श्री सी0एम0बाजपेयी
सदस्य श्रीमती प्रीति रानी साव)

जावक क्रमांक 497
दिनांक 15 JUL 2026

प्रकरण क्रमांक 26010/2026
संस्थित दिनांक 20.04.2026

सैय्यद सादिक अली (सेवा निवृत्त कर्मचारी),
फैज नगर, अली किराना के पीछे, तालापारा, बिलासपुर (छ0ग0)

परिवादी

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री (नगर) संभाग–पश्चिम,
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 बिलासपुर (छ.ग.)

2. सहायक यंत्री (गोल बाजार जोन),
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 बिलासपुर (छ.ग.)

उत्तरवादी

आदेश

(आज दिनांक **15.07.2026** को पारित)

परिवादी की शिकायत, माह अप्रैल 2026 में 50 प्रतिशत छूट के लाभ को निरस्त कर 25 प्रतिशत कर अंतर राशि के रूप में जारी की गई अतिरिक्त राशि रू. 57438/– के जारी त्रुटिपूर्ण बिल को सुधार करने/मांग पत्र को रदद् किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है;

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है:–

1. परिवादी को स्थायी घरेलू कनेक्शन प्रदाय किया गया है तथा नियमित देयक जारी किया जा रहा है।
2. परिवादी को माह मार्च 2026 तक जारी विद्युत देयकों का परिवादी द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

(परिवादी द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् से लगातार नियमित रूप से मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर जारी देयकों का भुगतान किया जा रहा है। परिवादी को माह अप्रैल 2026 में सहायक यंत्री के पत्र कमांक 15 दिनांक 06.04.2026 के अनुसार अतिरिक्त राशि रू. 57438/– भुगतान हेतु जारी किया गया। जिस पर आपत्ति करते हुए परिवादी द्वारा

उक्त अतिरिक्त देयक की जानकारी उत्तरवादी से लिए जाने पर उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात् 25 प्रतिशत विद्युत देयक में छूट देने का प्रावधान है जबकि परिवादी द्वारा 50 प्रतिशत का छूट का लाभ लिया गया जा रहा है, जो 25 प्रतिशत अधिक छूट का लाभ दिया गया है उसे कंपनी के नियमानुसार कर्मचारी से वसूलने हेतु अतिरिक्त देयक जारी किया गया है। जिस पर परिवादी द्वारा उक्त राशि को पुनरीक्षित कर नियमानुसार बिल देने हेतु निवेदन किया गया है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. परिवादी सैय्यद सादिक अली, सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा कंपनी के नियमानुसार 50 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त कर रहे थे। दिनांक 01.01.2016 से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कंपनी के नियमानुसार 25 प्रतिशत छूट की पात्रता अनुसार टेरिफ परिर्वतन होना था परंतु उपभोक्ता के द्वारा सेवानिवृत्त होने की जानकारी एवं टैरिफ परिवर्तन हेतु आवेदन उत्तरवादी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत छूट की राशि रू. 57438/– वसूली हेतु परिवादी को सूचना प्रदान किया गया है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते है:–

1. क्या परिवादी कंपनी के नियमानुसार विद्युत देयक में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का अधिकारी है?
2. क्या विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार उक्त राशि परिवादी से वसूली योग्य है?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 02 की विवेचना एवं निष्कर्ष :–

6. विचारणीय प्रश्न से संबंधित प्रथमतः बी.पी. क्रमांक **1001093448** घरेलू कनेक्शन में जोडी गई अतिरिक्त राशि रू. 57438/– को निरस्त कर सही बिल जारी करने का निवेदन किया गया है परंतु उत्तरवादी द्वारा परिवादी के बिल को सुधार नहीं करते हुए अतिरिक्त राशि को नियमित देयक में जोड़कर भुगतान हेतु जारी किया गया। फोरम द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत बिल सुधार हेतु निवेदन किया गया है, परिवादी का तर्क स्वीकार योग्य है।

उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में बताया गया कि परिवादी को माह जनवरी 2016 से सेवानिवृत्त होने पश्चात् से नियमित रूप से 50 प्रतिशत विद्युत बिल में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसके आधार पर दिए गए 25 प्रतिशत अधिक लाभ की अंतर राशि परिवादी से वसूल करने हेतु जारी किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

विचारणीय प्रश्न से संबंधित द्वितीयः उत्तरवादी द्वारा वर्ष 2016 से 2026 तक जारी किया गया देयक छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 10.18 के तहत् उचित प्रतीत नहीं होता है।

मैं उक्त विचारणीय तथ्य का निष्कर्ष यह देता हूँ कि:—

परिवादी द्वारा फोरम में सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि कंपनी के द्वारा दिए गए अतिरिक्त छूट की राशि का जारी किया गया देयक छ0रा0वि0प्र0संहिता के अनुसार कालबाधित राशि होने के कारण वसूली योग्य नहीं है। अतः जारी अंतर राशि को निरस्त करने की कृपा करें। साथ ही नियमित बिल में अतिरिक्त राशि जोड़ दिए जाने के कारण अनावश्यक अधिभार लगा है उक्त अधिभार को निरस्त करने की कुपा करें। परिवादी के निवेदन को स्वीकार किया गया।

7. समस्त विचारणीय प्रश्न के निष्कर्ष के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि सहायक यंत्री (गोल बाजार जोन) छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. बिलासपुर द्वारा परिवादी को जारी किया गया 25 प्रतिशत अंतर राशि का देयक वसूली किया जाना, आंशिक रूप स्वीकार है। उत्तरवादी द्वारा परिवादी के सेवानिवृत्ति दिनांक 01.01.2016 से उक्त राशि वसूल करने हेतु अंतर राशि जारी किया गया है जो **छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 10.18 — (किसी उपभोक्ता द्वारा देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली—योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो।)** के तहत् केवल दो वर्ष तक की राशि नियमानुसार वसूली योग्य है तथा दो वर्ष पूर्व की राशि उक्त कंडिका अनुसार कालबाधित अवधि का होने के कारण निरस्त किया जाने योग्य है।

फोरम के सदस्य के मतानुसार उक्त निष्कर्ष पर आपत्ति व्यक्त करते हुए यह तर्क दिया कि "परिवादी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी है एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् कंपनी द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाओं की जानकारी कर्मचारियों को होती है। इस आधार पर परिवादी द्वारा अनभिज्ञता जाहिर कर इसका लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, अतः जारी किया गया देयक वसूल किया जाना उचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। अस्तु प्रस्तुत परिवाद स्वीकार कर निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है:—

(सदस्य की ओर से पारित आदेश) परिवादी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते कंपनी द्वारा मिलने वाले सुविधाओं संबंधित समस्त नियमों से अवगत है। इस आधार

Scanned with OKEN Scanner

पर 50 प्रतिशत लाभ संबंधित बात की जानकारी भी परिवादी को पूर्व से अवगत होने के कारण जारी किया गया देयक वसूल किया जावे तथा परिवादी द्वारा किश्तों की सुविधा मांगे जाने पर अधिक से अधिक किश्तों की सुविधा बिना अधिभार के प्रदाय किया जावे।

(अध्यक्ष की ओर से पारित आदेश) उत्तरवादी द्वारा परिवादी को वर्ष 2016 से जारी की गई 25 प्रतिशत की अंतर राशि छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 10.18 के तहत् कालबाधित अवधि का होने के कारण निरस्त करे तथा इस पर अधिरोपित अधिभार को भी निरस्त करे। छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 10.18 के तहत् दो वर्ष के भीतर की राशि नियमानुसार परिवादी से बिना अधिभार के वसूल करे।

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 06 मार्च 2023 के बिन्दु कमांक 8.1 – फोरम के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित एवं मताधारी सदस्यों के बहुमत से होगा, तथा मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा] के तहत् आदेश पारित किया जाता है।

9. यदि परिवादी इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग) में अपील कर सकता है।

आदेश पारित किया गया

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

(सी.एम. बाजपेयी)
अध्यक्ष

(प्रीति रानी साव)
सदस्य

Scanned with OKEN Scanner